

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी :- विकास पंचोली ( R.A.S.)

प्रकरण संख्या - 140/2023 वाद

GCMS No. - 2023/492

1. संजीव कुमार पुत्र शांतिलालजी जाति गुर्जर निवासी बांगरेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
- 2.. सागरबाई पत्नी शांतिलालजी गुर्जर निवासी बांगरेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।

— वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

- प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेश दिया जाता है की मौजा बांगरेड़ा पटवार हल्का बांगरेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा के खाता संख्या 627 के आराजी नंबर 142 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, आराजी नंबर 152 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 165 रकबा 0.3400 हैक्टेयर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.8500 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान जमाबंदी में वादी नंबर 1 का नाम गोदूलाल पिता शांतिलाल व वादिया नंबर 2 का नाम सागरीबाई पत्नी शांतिलाल के बजाय सागरबाई पत्नी शांतिलाल कर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किए जाने एवं अमल दरामद किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया



  
(विकास पंचोली)  
सहायक कलक्टर,  
निम्बाहेड़ा  
न्यायालय सहायक कलक्टर  
निम्बाहेड़ा  
